कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com / dfobageshwar03@gmail.com
दूरभाष / फैक्स : 05963–220249 फैक्स नं0:–05963–220209

पत्रांक 3584 / 4-48 बागेश्वर, दिनांक 18/3 /2023

अल्पकालीन निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा बागेश्वर वन प्रभाग में ठेकेदारो हेतु निम्न कार्य की सील्ड निविदा दिनांक 03.04.2023 को अपराहन 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा के साथ बन्धक धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर की सी0डी0आर0 / एफ0डी0आर0 / एन0एस0सी0 हो, जो की प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पदनाम पर निरूपित (Pledge) हो, संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र विलम्बवत् दिनांक 25.03.2023 तक निर्धारित शुल्क जमा कर किसी भी कार्य दिवस में इस कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। दिनांक 03.04.2023 को अपरान्ह 2.00 बजे के बाद प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्रपत्र के साथ 100 / रू0 का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर जिस पर ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरयुक्त रू0 1 / – का रसीदी टिकट हो, वेद्यता की शर्तो के साथ लगाना तथा निविदा के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया–प्रति लगाना अनिवार्य है।तथा टेण्डर फार्म लेते समय पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति जमा करवानी अनिवार्य है।

प्राप्त निविदा दिनांक 03.04.2023 को अपराहन 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरी अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा खोली जायेगी। निविदा खुलते समय निविदादाता चाहे तो स्वंय अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। टेण्डर दाता निम्नलिखित विवरण व टेण्डर की शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़कर व कार्य को मौके की स्थिति समझकर टेण्डर दें :–

क0 सं0	रेंज	कार्य विवरण	अनुमानित धनराशि (लाख में)	धरोहर राशि (रू0) में	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0) में	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार का पंजीकरण एवं श्रेणी
1	2	3	4	5		6	7
1	कपकोट	जायका योजना अर्न्तगत गगनीगाड के उराबगड़ में 16 मी लम्बा जलकुण्ड निर्माण कार्य।	11.09	22,500	1500.00 जी0एस0टी अतिरिक्त	30 दिन	बागेश्वर वन प्रभाग में पंजीकृत ठेकेदार
	कपकोट	जायका योजना अर्न्तगत गगनीगाड के भांगरापानी में 16 मी लम्बा जलकुण्ड निर्माण कार्य।	11.09	22,500	1500.00 जी0एस0टी अतिरिक्त	30 दिन	बागेश्वर वन प्रभाग में पंजीकृत ठेकेदार
	कपकोट	जायका योजना अर्न्तगत गगनीगाड के किरकिला में 12.50 मी लम्बा जलकुण्ड निर्माण कार्य।	9.19	18,500	1000.00 जी0एस0टी अतिरिक्त	30 दिन	बागेश्वर वन प्रभाग में पंजीकृत ठेकेदार

नोट–: टेण्डर स्वीकृत पत्र प्राप्त होने के 7 दिन के अन्दर बान्ड करना अनिवार्य होगा। 7 दिन के अन्दर बान्ड न करने पर धरोहर राशि जप्त की जा सकती है।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

निविदा की शर्ते

1. लिफाफे के बाहर कार्य का नाम स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए।

2. टेण्डर गोल ठेके पर भरा जाय और उसमें स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि प्राकलन से कितने प्रतिशत कमी या अधिक पर टेण्डरदाता कार्य करने को तैयार है। सशर्त डाले गये टेण्डर रद्द समझें जायेगें। टेण्डर स्वीकृत हो जाने के बाद टेण्डर नोटिस में दिये गये नियमों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जायेगा।

03. टेण्डर सम्बन्धी कोई भी विवाद होने पर वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊं वृत्त द्वारा निस्तारित किया जायेगा। जो कि ठेकेदार को मान्य होगा।

04. टेण्डर के साथ ऊपर लिखे अनुसार बन्धक धनराशि किसी राष्ट्रीय बैंक अथवा डाकघर की सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है। बन्धक धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग के पदनाम निरूपित (Pledge) होना चाहिए।

5. प्रभागीय वनाधिकारी सबसे कम व अधिक दर के टेण्डर को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगें तथा बिना कारण बताये टेण्डर को निरस्त कर सकते है।

6. टेण्डर स्वीकृत होते ही, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश की दरें, जमानत के रूप में धनराशि जमा करना होगा व ठेकेदार द्वारा प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर व कार्यादेश प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर कार्य प्रारम्भ होगा/ऐसा न करने पर बन्धक धनराशि को जप्त कर लिया जायेगा।

7. मरम्मत कार्य लो0नि0वि0 के स्पेसीफिकेशन तथा प्राकलन में दिये गये विवरण के अनुसार करना होगा।

8. विभाग कोई समान ठेकेदार को देने के लिए बाध्य न होगा। यदि ठेकेदार द्वारा कोई सामाग्री विभाग की तरफ से लिया जायेगा तो उसका मूल्य प्राकलन में दी गई दर से ठेकेदार के बिल से काटा जायेगा।

9. कार्य का प्राकलन सम्बन्धित रेंज कार्यालय अथवा प्रधान कार्यालय बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर में किसी भी कार्यदिवस में देखा जा सकता है। प्राकलन के अतिरिक्त कोई भी कार्य बिना प्रभागीय वनाधिकारी की लिखित आज्ञा के बिना किया गया हो, तो उसका भुगतान करने के लिए यह वन प्रभाग बाध्य नहीं होगा। यदि कोई अतिरिक्त कार्य उनकी लिखित आज्ञा से कराया गया हो, तो उसका भुगतान ठेकेदार द्वारा टेण्डर की दर से जो कमी या वृद्धि की गई हो उसके अनुसार किया जायेगा।

10.निर्माण कार्यो को, कार्यदेश निर्गत की तिथि से समयावधी के अन्तर्गत प्रत्येक दशा में पूर्ण करना होगा। कार्य को समयावधी में पूर्ण न करने पर प्रॅक्योमेन्ट नियमावली के अनुसार क्षतिपूर्ति ली जायेगी।

11. कार्यो का निरीक्षण प्रभागीय वनाधिकारी,उप प्रभागीय वनाधिकारी, रेंज अधिकारी, प्रभागीय मानचित्रकार अथवा प्रभाग द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी जो भी इस कार्य के लिए नियुक्त होंगे, द्वारा किया जायेगा और उनके कथनानुसार ठेकेदारों को सब कार्य प्राकलन के अनुसार पूरे करने होंगे।

12. यदि ठेकेदार का कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया गया या प्रगति ठीक नहीं हुई तो उसका ठेका रद्द किया जा सकता है, तथा जमानत जब्त की जा सकती है।

13. कार्य का पूर्ण भुगतान सक्षम अधिकारीयों द्वारा निरिक्षण करने के पश्चात् तथा कार्य पूर्णतः संतोषजनक पाये जाने पर एवं बजट की उपलब्धता के अनुसार ही किया जायेगा।

14. टेण्डर पंजीकृत डाक प्राप्त से अथवा दिनांक 03.04.2023 को अपराहन 2.00 बजे तक टेण्डर बाक्स में डाले जायेंगे।

15. ठेकेदार को सरकारी आदेशों के अनुसार स्टाम्प शुल्क, जी0एस0टी0 कर, आयकर व रॅायल्टी आदि देना होगा।

16. कार्य की मात्रा घट–बढ़ सकती है।

17. कार्य के लिये बजट स्वीकृत होने के पश्चात् ही निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यदेश स्वीकृत टेण्डर को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया जायेगा।

18. प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर को अधिकार होगा कि वे उपरोक्त किसी भी शर्तो को आंशिक रूप से या पूर्णतः शिथिल कर सकते हैं।

19. बजट की उपलब्धता होने पर ही स्वीकृत ठेकेदार को भुगतान किया जायेगा।बजट प्राप्त न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी भुगतान करने के लिये बाध्य नही होंगे।

20. टेण्डर के साथ लगी धरोहर राशि नयी होनी चाहिए।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

पत्रांक 3584 / **दिनांकित**

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
3. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
4. जिलाधिकारी बागेश्वर।
5. समस्त वन क्षेत्राधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।
6. नोडल अधिकारी आई0टी0सैल देहरादून को विभागीय बेबसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. प्रभागीय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।